

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0सं0 :- 3/अ0प्र0-1-91/2013


1420

/पटना, दिनांक :- 27.5.24

श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड सं0-06/2013 दिनांक-19.02.2013 के मामले में संकल्प संख्या-295 दिनांक 01.02.2024 द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित है।

श्री कुमार के दिनांक 29.02.2024 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्पत्तिवर्तित किया जाता है।


प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(डॉ० फतिह फैयाज़)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-91/2013

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री धमेन्द्र सिंह, जाँच आयुक्त-सह-सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मिथिलेश कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता-मोहल्ला-C-20, अभियंता नगर, आशियाना नगर, थाना-राजीवनगर, डाकघर-आशियाना नगर, जिला-पटना, पिन-800025, मोबाईल नं0-7766932079 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-91/2013

1420

/पटना, दिनांक :- 27.5.24

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव